व्यवस्था पर विश्वास :

अमेरिका से सीखने वाली एक सांस्कृतिक समझ

कुछ समय पहले अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय परिवार के बुजुर्ग पिता अपने बेटे से मिलने अमेरिका आए थे। एक शाम वे टहलने निकले। रास्ते में उन्हें कुछ संदिग्ध-सा दिखाई दिया। भारत में पले-बढ़े होने के कारण उनके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा आई– 'देखें क्या बात है, पता करें।' वे थोड़ी देर वहां देखने लगे।

लेकिन पड़ोसी को उनका यह व्यवहार संदिग्ध लगा। उसने तुरंत 911 पर फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति को अपने तरीके से संभालना चाहा, लेकिन भाषा और परिस्थिति को न समझ पाने के कारण बुजुर्ग घबरा गए और घटना गंभीर रूप ले बैठी। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण अंतर सामने रखा–अलग-अलग देशों में नागरिक व्यवहार और सुरक्षा व्यवस्था को देखने का नजरिया अलग होता है। अमेरिका में एक मूल सिद्धांत है–आपको स्वयं नायक बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको व्यवस्था को सूचना देनी है। यदि कहीं आग दिखाई दे तो पड़ोसी के घर में घुसकर बचाने की कोशिश करना हमेशा सही कदम नहीं माना जाता। फायर ब्रिगेड को सूचना देना ही जिम्मेदारी है। प्रशिक्षित लोग, आधुनिक उपकरणों के साथ, उस काम को बेहतर और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो पड़ोसी अपनी ओर से इलाज करने की बजाय 911 पर कॉल करता है। एम्बुलेंस और मेडिकल टीम अपना काम करती है।

यहां नागरिकों का भरोसा व्यक्ति से अधिक सिस्टम पर होता है।-यही बात यातायात नियमों में भी दिखाई देती है। पैदल यात्रियों के लिए बने क्रॉसिंग पर वाहन चालक नियमों का पालन करते हैं। पैदल यात्री को विश्वास होता है कि वाहन रुकेगा, और वाहन चालक को विश्वास होता है कि पैदल यात्री नियमों का पालन करेगा। लेकिन जहां नियम नहीं हैं, वहां अचानक सड़क पार करना जोखिम भरा हो सकता है। व्यवस्था तभी काम करती है जब हर व्यक्ति उसकी मर्यादा को समझे। भारत जैसे समाज में हम बचपन से एक-दूसरे की मदद करने, पड़ोसी के सुख-दुख में साथ खड़े होने और हर समस्या को मिलकर हल करने की संस्कृति में बड़े हुए हैं। यह हमारी ताकत है। लेकिन कई बार इसी आदत के कारण हम औपचारिक व्यवस्थाओं पर कम भरोसा करते हैं और स्वयं हस्तक्षेप करने लगते हैं।

अमेरिका में दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर भी यही विश्वास दिखाई देता है। कई स्टोर में ग्राहक स्वयं सामान लेकर जाते हैं, स्वयं भुगतान करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस भरोसे का गलत फायदा उठाता है तो कानून अपना काम करता है। वहां 'मुझे पता नहीं था' या 'गलती हो गई' जैसी बातें अक्सर कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करतीं। सोशल मीडिया पर किसी शहर को लेकर नकारात्मक बातें तेजी से फैलती हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को को लेकर कई बातें कही जाती हैं। लेकिन किसी भी शहर की पहचान केवल कुछ गलत उदाहरणों से नहीं होती। अधिकांश नागरिक अपने शहर को साफ रखने, नियमों का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों की जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करते हैं। जहां गंदगी दिखाई देती है, वहां नागरिक प्रशासन को सूचना देते हैं ताकि उचित कार्रवाई हो सके।

यह वास्तव में सांस्कृतिक अंतर है।-भारत में हमारा भरोसा अक्सर समाज और रिश्तों पर आधारित होता है। परिवार, पड़ोसी और समुदाय हमारे लिए सुरक्षा का आधार हैं। अमेरिका में भरोसा संस्थाओं और नियमों पर आधारित है। वहां व्यक्ति से अपेक्षा होती है कि वह नियमों का पालन करे और जरूरत पड़ने पर सही विभाग को सूचना दे। दोनों संस्कृतियों की अपनी-अपनी खूबियां हैं। भारत की मानवीय संवेदना और सामुदायिक भावना अमूल्य है, वहीं अमेरिका की व्यवस्थित कार्यप्रणाली और संस्थाओं पर विश्वास सीखने योग्य है। विदेश में रहने या यात्रा करने का अर्थ केवल नई जगह देखना नहीं, बल्कि वहां की सोच और व्यवस्था को समझना भी है। किसी भी देश में सफल जीवन के लिए जरूरी है कि हम अपनी अच्छी परंपराओं को बनाए रखते हुए नई व्यवस्थाओं का सम्मान करना सीखें। क्योंकि मजबूत समाज वही होता है जहां नागरिक भी जिम्मेदार हों और सिस्टम भी भरोसेमंद।

नीना जैन लाइफ कोच दूरदर्शन एंकर

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और न्यायपालिका की भूमिका

महेन्द्र तिवारी

10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों ने निर्वाचन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया से कुछ वर्गों के मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया में पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है। सत्तारूढ़ दल ने भी विपक्ष के आरोपों पर आपत्ति जताई है। इसलिए इस पूरे विवाद में आरोपों, आधिकारिक स्पष्टीकरणों और प्रमाणित तथ्यों को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। मेट्रो स्टेशनों को बंद करने, आवागमन सीमित करने और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों की खबरें सामने आईं। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना भी मिली। इन कदमों से केवल प्रदर्शनकारियों की गतिविधियां प्रभावित नहीं हुईं, बल्कि आम नागरिकों की आवाजाही, दैनिक कामकाज और सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ा। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंध किस सीमा तक आवश्यक और उचित थे।

इसी पृष्ठभूमि में 11 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष सुनवाई करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। उसने मेट्रो और रेल सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, शहर में यातायात नियमों के अधीन लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने तथा इंटरनेट सेवाओं को अनावश्यक रूप से बाधित न करने पर जोर दिया। न्यायालय ने सड़कों पर लगाए गए अवरोधों की तत्काल समीक्षा करने और अदालतों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इन निर्देशों के साथ यह स्पष्ट रखा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था की वास्तविक आवश्यकता होने पर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी है कि संविधान नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि शासन की शक्तियों की सीमाएं भी निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता का आधार हैं। हालांकि, इन पर संविधान में निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए विरोध करने की स्वतंत्रता का अर्थ कानून से ऊपर होना नहीं है और न ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का अर्थ नागरिकों के अधिकारों को मनमाने ढंग से सीमित करना है।

प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह संभावित हिंसा, यातायात अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन किसी संभावित खतरे की आशंका के आधार पर सभी लोगों की आवाजाही रोक देना या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक आधार के हिरासत में लेना उचित नहीं माना जा सकता। प्रतिबंधों का औचित्य, उनकी अवधि और उनका दायरा परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। जहां सीमित व्यवस्था से समस्या का समाधान संभव हो, वहां व्यापक प्रतिबंधों के कारण आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी में डालने से बचना चाहिए।

दिल्ली जैसे महानगर में मेट्रो और रेल सेवाएं केवल यातायात के साधन नहीं हैं। लाखों लोग प्रतिदिन इन सेवाओं के माध्यम से अपने कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक स्थानों तक पहुंचते हैं। अचानक परिवहन सेवाएं बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई, कर्मचारियों की उपस्थिति, मरीजों की चिकित्सा और छोटे कारोबारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार इंटरनेट सेवाएं आज शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, संचार और आपातकालीन सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए इनके व्यापक प्रतिबंध का प्रभाव प्रदर्शन स्थल से कहीं अधिक दूर तक पहुंचता है।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका केवल किसी एक प्रदर्शन को लेकर आदेश देने तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका का दायित्व यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रशासनिक कार्रवाई संविधान और कानून के अनुरूप हो। जब नागरिकों को लगता है कि उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब न्यायालय से राहत की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि, न्यायिक हस्तक्षेप का अर्थ यह नहीं है कि किसी विवाद में एक पक्ष के सभी आरोप स्वतः सिद्ध हो गए। न्यायालय के अंतरिम निर्देश, प्रारंभिक टिप्पणियां और अंतिम निर्णय अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। दिल्ली के मामले में भी अधिकारियों से जवाब और अनुपालन संबंधी जानकारी मांगी गई है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विवाद का एक व्यापक पक्ष जनता का विश्वास है। चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया हैं और मतदाता सूची उनकी विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण आधार है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक हो सकता है, क्योंकि समय के साथ मृत्यु, स्थान परिवर्तन और अन्य कारणों से अभिलेखों में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटना उसके मताधिकार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सूची में संशोधन करते समय पारदर्शिता, स्पष्ट मानदंड, उचित सूचना और शिकायतों के निवारण की प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। राजनीतिक दलों और नागरिकों की आपत्तियों का समाधान प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए।

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने, सरकार बनाने और शासन चलाने की व्यवस्था का नाम नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति नागरिकों को अपनी बात कहने, असहमति व्यक्त करने और सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता देने में निहित है। जिस व्यवस्था में नागरिक अपनी शिकायतें खुलकर सामने रख सकें, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सकें और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठा सकें, वही व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है, तब नागरिक अधिकारों की रक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। दिल्ली में निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

विरोध प्रदर्शन भी लोकतंत्र में संवाद का माध्यम हैं। नागरिक जब किसी निर्णय से असहमत होते हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखना उनका संवैधानिक अधिकार है। साथ ही प्रदर्शन आयोजित करने वालों का दायित्व है कि वे कानून का पालन करें, हिंसा से बचें और दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें। प्रशासन को भी प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि तनाव कम किया जा सके और सार्वजनिक सुविधाएं बाधित न हों। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी और संयम से ही ऐसी परिस्थितियों का समाधान संभव है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि लोकतांत्रिक असहमति को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में न देखा जाए। असहमति किसी भी जीवंत लोकतंत्र का स्वाभाविक अंग है। उसी प्रकार, हर विरोध को स्वतः उचित मान लेना भी पर्याप्त नहीं है। उसकी प्रकृति, उद्देश्य और तरीके का मूल्यांकन कानून तथा तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकार, प्रशासन, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल और नागरिक समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से एक बार फिर यह संदेश सामने आया है कि सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानकर नहीं चलना चाहिए। कानून का उद्देश्य अधिकारों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करते हुए समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती तब दिखाई देती है, जब नागरिक बिना भय के अपनी बात रख सकें, प्रशासन निष्पक्षता से अपने दायित्व निभाए और न्यायपालिका आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करे। विरोध की आवाज सुनना, असहमति का सम्मान करना और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना ही एक उत्तरदायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है।

विद्यासंबल योजना बनाम टीचिंग एसोसिएट

सुप्रीम कोर्ट पहुँची टीचिंग एसोसिएट भर्ती : जोधपुर हाईकोर्ट के स्टे फैसले को रोका

भर्ती विरोध का कारण –

1. **भर्ती अस्थाई है।**
2. **RPSC की भर्ती को राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भर्ती कराने के अधिकार पर।**
3. **तष्ट मानदंडों की अवहेलना।**
4. **अतिथि सहायक आचार्यों के रोजगार की असुरक्षा**
5. **वेतनमान को लेकर विवाद**
6. **नौकरी की अवधि और प्रकृति पर विरोध।**
7. **सहायक आचार्य पदनाम से छेड़छाड़**

राजस्थान सरकार राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती प्रकृति को बदलकर संभवतः पीपीपी मोड को अपनाना चाहती है। शिक्षा का ढाँचा पहले ही बिखरा हुआ है ऊपर से शिक्षा में ये प्रयोग देश व राज्य के भविष्य के लिए खतरा पैदा करने वाला है। सरकार चाहती है युवा बिजनेसमैन बने,लेकिन सरकार ये समझने को तैयार नहीं की उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित युवा सफल बिजनेसमैन बन पायेगा? सरकार को लगता है कि कॉलेज एज्युकेशन सिस्टम ठीक नहीं है इसमें सरकार का प्रोफेसरों को वेतनमान के रूप में मोटा पैसा लगता है।सरकार इसे बचाकर बिजनेसमैन बनाना चाहती है।

डबल इंजन की सरकार चलते इंजन में नया ईंधन डालना चाहती है जो राज्य के स्वास्थ्य और विकास के लिए विष है। सरकार अपनी मनमानी करने पर उतारू है। एक अस्थाई भर्ती के लिए सरकार का ये अड़ियल रवैया राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए विस्फोटक है। सरकार मजदूर और प्रोफेसर को एक ही तराजू में तौल रही है। इस सरकार के रवैये से लगता है गधें और घोड़े एक है। मजदूर देश की रीढ़ है तो शिक्षक देश का मस्तिष्क है। लेकिन एक तथ्य ये भी है जिस देश की सरकार युवाओं का शोषण करें, उसकी बात न सुने और आदेश थोपे वहाँ के युवा क्रांति करते है या फिर पलायन। विद्यासंबल सहायक आचार्य सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहे है इसका कारण ये कि इनमें आन्तरिक विरोध और भीतरघात करने वाले ज्यादा है। इस बात का पता हर सरकारी विभाग के ऊपर से नीच तक के कार्मिक तथा मंत्रियों तक को पता है। सरकार इसका फायदा उठा रही है। अतिथि सहायक आचार्यों के हितैषी वकील भी सिवाय अपने रोजगार के अलावा कुछ नहीं ढूँढ रहे। विद्यासंबल सहायक आचार्यों के प्रतिनिधि भीतरघात से बाज नहीं आ रहे, अहम्‌ की लड़ाई ने अतिथि सहायक आचार्यों के भविष्य और रोजी- रोटी का संकट खड़ा कर दिया। वकीलों को अनुमान था,शायद पता भी हो कि स्टे के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन कैविट किसी ने नहीं लगाई और न ही लगाने की सलाह दी। सिस्टम ने सबको मैनेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट चला गया। आपसी खिंचातानी ने 2700 परिवारों की लुटिया डुबो दी। दरअसल! राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा टीचिंग एसोसिएट भर्ती विज्ञप्ति जारी करते ही विद्यासंबल सहायक आचार्यों ने भर्ती का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में भर्ती की वैधानिकता को चुनौती दी। 14 जुलाई को जोधपुर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने भर्ती सम्बन्धित सभी याचिकाओं जोड़कर विज्ञप्ति पर रोक लगा दी। विद्यासंबल सहायक आचार्यों को लगा सरकार बैकफुट पर आ गई। आयुक्तालय बार-बार स्प्रेडशीट भरवाकर ये मैसेज देना लगा सरकार अतिथि सहायक आचार्यों के लिए कुछ अच्छा करने जा रही है। सरकार बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी के लिए बैकग्राउंड तैयार करने लगी।

आयुक्तालय से रिपोर्ट भी बाहर आने लगी थी कि सरकार हाईकोर्ट भर्ती स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए फाईल तैयार कर चुकी। लेकिन सरकार ने सिस्टम को मैनेज करके सरकारी वकील एश्वर्या भाटी ने 21 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट में एकतरफा सुनवाई में असंगत तथ्य पेश करते हुए पहली ही सुनवाई में हाईकोर्ट के भर्ती स्टे फैसले पर रोट हटवा दी और कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी करना का आदेश दिया। सरकार के निर्देशों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने आनन-फानन में परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना एकतरफा फैसला दिया जो कि न्यायोचित नहीं लगता। प्रभावित पक्ष को जबाव पेश करने के लिए 2नवम्बर का समय दिया।

निरंतर प्रयासों से बाधाएँ भी दंडवत् होती हैं

जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है, जो कठिनाइयों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनका सामना करने का साहस रखते हैं। बाधाएँ प्रत्येक व्यक्ति के मार्ग में आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का दृष्टिकोण ही व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण करता है। जो लोग असफलताओं से निराश होकर प्रयास छोड़ देते हैं, वे मंजिल के निकट पहुँचकर भी पीछे रह जाते हैं; जबकि निरंतर प्रयास करने वाले लोग अंततः कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। सच ही है—निरंतर जारी प्रयासों के सामने बाधाएँ भी एक दिन दंडवत् हो जाती हैं।

प्रकृति भी हमें निरंतरता का यही संदेश देती है। एक छोटी-सी जलधारा जब लगातार बहती रहती है, तो कठोर चट्टानों पर भी अपना मार्ग बना लेती है। उसकी शक्ति केवल वेग में नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाह में निहित होती है। इसी प्रकार, मनुष्य की सफलता केवल प्रतिभा या संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके सतत परिश्रम, धैर्य और सीखते रहने की क्षमता पर भी निर्भर करती है।

प्रकृति भी हमें निरंतरता का यही संदेश देती है। एक छोटी-सी जलधारा जब लगातार बहती रहती है, तो कठोर चट्टानों पर भी अपना मार्ग बना लेती है। उसकी शक्ति केवल वेग में नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाह में निहित होती है। इसी प्रकार, मनुष्य की सफलता केवल प्रतिभा या संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके सतत परिश्रम, धैर्य और सीखते रहने की क्षमता पर भी निर्भर करती है।

थॉमस अल्वा एडीसन का उदाहरण इस संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक है। विद्युत बल्ब के व्यावहारिक विकास में उन्होंने अनेक प्रयोग किए। बार-बार प्रयोग करने, त्रुटियों को समझने और नए विकल्प तलाशने की उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाया। उनका जीवन सिखाता है कि असफल प्रयोग प्रयासों का अंत नहीं, बल्कि सही समाधान तक पहुँचने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।

इसी प्रकार, अरुणिमा सिन्हा का जीवन अदम्य इच्छाशक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण है। गंभीर दुर्घटना में अपना एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। कृत्रिम पैर के सहारे पर्वतारोहण का कठिन प्रशिक्षण लिया और वर्ष 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बनीं। उनका संघर्ष प्रमाणित करता है कि परिस्थितियाँ शरीर को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक पहुँचा सकते हैं।

विद्यार्थियों के जीवन में भी निरंतरता का महत्त्व स्पष्ट दिखाई देता है। कोई विद्यार्थी पहली बार में परीक्षा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी क्षमताएँ समाप्त हो गई हैं। यदि वह अपनी कमियों को पहचाने, अध्ययन की रणनीति सुधारे और नियमित अभ्यास जारी रखे, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह, किसान प्रतिकूल मौसम के बावजूद अगली फसल के लिए तैयारी करता है, उद्यमी असफलताओं से सीखकर अपने कार्य में सुधार करता है और खिलाड़ी लगातार अभ्यास से अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।

हालाँकि, निरंतर प्रयास का अर्थ एक ही गलती को बार-बार दोहराना नहीं है। सच्ची निरंतरता वह है, जिसमें लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता बनी रहे और आवश्यकता के अनुसार रणनीति बदलती रहे। केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं; सही दिशा, आत्ममूल्यांकन और समयानुकूल निर्णय भी आवश्यक हैं।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में लोग अक्सर शीघ्र सफलता की अपेक्षा करते हैं। परिणाम तुरंत न मिलने पर वे अपने सामर्थ्य पर संदेह करने लगते हैं। जबकि वास्तविक उपलब्धियों के पीछे वर्षों का अनुशासन, अभ्यास और धैर्य छिपा होता है। बीज बोने के अगले दिन वृक्ष की छाया नहीं मिलती। पहले बीज को मिट्टी में संघर्ष करना पड़ता है, जड़ें विकसित करनी पड़ती हैं और फिर वह धीरे-धीरे विशाल वृक्ष का रूप लेता है। मनुष्य का विकास भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है।

अतः बाधाओं को अपनी असमर्थता का प्रमाण मानने के बजाय उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर समझना चाहिए। हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी उपलब्धि की नींव बन सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे, असफलताओं से सबक ले और परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण न करे। सफलता किसी एक दिन के चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि प्रतिदिन किए गए सार्थक प्रयासों का संचय है। रास्ते में आने वाली बाधाएँ हमारी गति धीमी कर सकती हैं, लेकिन यदि संकल्प दृढ़ हो और प्रयास निरंतर जारी रहें, तो वे हमारी मंजिल को स्थायी रूप से रोक नहीं सकतीं।

डॉ सुरेन्द्र मीणा

शब्द प्रहार...